

## FORM-I

(for linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector konhdagaon(C.G.)

\*\*\*\*\*

Dated 27/11/2021

No. 598

## To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.24 hectare of forest land located at compartment no 1259 proposed to be diverted in favour of **Chhattisgarh State Power Transmission Company limited (CSPTCL)** (name of user agency) for **Build 132/33 Kv Sub-Station** (purpose for diversion of forest land) in **Kondagaon** district falls within jurisdiction of **Jamgaon..village(s)** in **Keshksal** tehsils.

It is further certified that:

- (b) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.24** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B to S**.
- (c) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram Sabhas have given their consent to it;
- (d) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above

  
(Pushpendra Kumar Meena)

Collector

District Kondagaon(C.G.)

## FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Kondagaon(C.G.)

\*\*\*\*\*

No. 528

Dated 27/11/2021

## To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.24 hectare of forest land located at compartment no 1259 proposed to be diverted in favour of **Chhattisgarh State Power Transmission Company limited (CSPTCL)** (name of user agency) for **Build 132/33 Kv Sub-Station** (purpose for diversion of forest land) in **Kondagaon** district falls within jurisdiction of **Jamgaon..village(s)** in **Keshksal** tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.24** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B to S**.
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest- dwellers, who eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Jamgaon..village(s)** is enclosed as annexure **B**.
- the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls.: As above.

(Pushpendra Kumar Meena)

Collector

District Kondagaon(C.G.)



कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत जामगांव जिला कोण्डागांव(छ0ग0) 26 / ग्रा.पं. / 2021-22  
जामगांव दिनांक 26/11/2021 ग्राम जामगांव की बैठक दिनांक 26/11/2021 का कार्यवाही  
विवरण  
स्थान:- पंचायत भवन जामगांव

आज दिनांक 26/11/2021 को स्थान ग्रा.पं. भवन जामगांव में ग्राम सभा का आयोजित किया गया। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति जामगांव के सदस्य 55 प्रतिशत उपस्थित थे। ग्राम सभा का संचालन करने हेतु सभापति का चयन उपस्थित सदस्यों में से श्री अशोक कुमार ने प्रस्तावित किया जिसका समर्थन श्री विठ्ठल शर्मा एवं उपस्थित सदस्यों के द्वारा सर्व सम्मति से किया गया। ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही सभापति के अनुमति से प्रारंभ की गई बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई।

1. ग्राम पंचायत जामगांव में आवेदक / एजेन्सी कार्यपालन अभियंता (सिविल-पारे) संभाग छ.स्टे.पॉ.ट्रांस. कं. लिमि. जगदलपुर ने(गैर वानिकी कार्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु बड़े झाड़ एवं छोटे झाड़ के जंगल(कक्ष कं0 1259 में से 3.24 हे. भूमि की मांग की गई हैं। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई हैं।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की हैं।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि गैर वानिकी कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित हैं में कोई भी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वनभूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि संपादित नहीं कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किया आदिवासी या परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया हैं।

**अथवा**

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया हैं -

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा(हे.में)
01	जामगांव	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम से सभा में निर्णय लिया गया हैं कि कक्ष क. 1259 में 3.24 हे. (बड़े झाड़ एवं छोटे झाड़ के जंगल) वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु(आवेदक/एजेन्सी) कार्यपालन अभियंता(सिविल-पारे.)संभाग छ0ग0 स्टे0पॉ0ट्रांस0क0लिमि0 जगदलपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे

ओजवाई  
सरपंच  
ग्राम पंचायत जामगांव  
ज.पं.केशकाल  
जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

Raman Chai  
ग्राम पंचायत सचिव  
ग्राम पंचायत, जामगांव  
ज.पं.केशकाल

संलग्न:-ग्राम सभा में इस बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का नाम एवं हस्ताक्षर/अंगूठा निशान सूची।



प्रादर्श-स

छत्तीसगढ़ राज्य विधुत पारेषण कम्पनी मर्यादित, जगदलपुर कार्यालय अभियंता (सिविल) पारेषण संभाग द्वारा 132/33 केव्ही0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु तहसील केशकाल में स्थित ग्राम जामगांव में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कक्ष क्र. 1259 में से 3.24 हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि एवं /कक्ष क्र. 1259 में से 3.24 हे. वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम जामगांव तहसील केशकाल में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 26.11.2021 (प्रादर्श-ब) एवं तहसीलदार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।


2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव सरपंच ग्राम पंचायत जामगांव के अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 26.11.2021 को आयोजित किया गया था, जिसमें 55 प्रतिशत सदस्यो उपस्थित थे, जिनका परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
01	जामगांव	निरंक	निरंक

3. प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26.11.2021 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (1) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा दिनांक 26.11.2021 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

  
कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव(छ0ग0)